(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2620–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–2014 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी – प्र0क0 134/13–14 स्वमेव निगरानी

बादल सिंह पुत्र इमरतलाल
ग्राम मझारी तहसील टप्पा
बदरवास परगना कोलारस
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन
2– श्यामलाल पुत्र कालू भील
ग्राम सालोन कृषक ग्राम मझारी
टप्पा बदरवास परगना कोलारस ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री सी0एम0गुप्ता)
(अनावेदक क–1 के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 07-11- 2015 को पारित)

अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 134/2013–14 स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–5–14 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि भूदान बोर्ड से पटटे पर प्राप्त भूमियों की सक्षम अनुमति बिना विक्रय वावत् जांच हेतु गठित समिति की छानवीन में पाया गया कि ग्राम मझारी स्थित भूमि स. क. 36 रकबा 0.88 है. को भूदान पट्टाग्रहीता किसना पुत्र सुक्का आदिवासी ने कलेक्टर की अनुमति लिये विना विक्रय कर दिया है जो खसरे में श्यामलाल पुत्र कालू भील (अनावेदक क–2) के नाम दर्ज पाई गई। अधीक्षक भू अभिलेख, शिवपुरी से उक्त आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर शिवपुरी ने श्यामलाल पुत्रकालू भील के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 134/13–14 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई

उपरांत आदेश दिनांक 18-5-2015 पारित किया तथा भूदान भूमि के पट्टाग्रहीता किसना पुत्र सुक्का आदिवासी व्दारा कलेक्टर से अनुमति लिये बिनाश्यामलाल पुत्र कालू भील को भूमि विक्रय कर देने के कारण अंतरण के अवैध होने से इस अंतरण के वाद हुये अंतरणों को भी निरस्त कर दिया तथा भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी की ग्राह्यता पर तथा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आवेदक एंव अनावेदक क्र-1 के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 134/ 2013-14 स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-5-14 के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में दिनांक 14-8-15 को प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में प्रावधान है कि संहिता की धारा 165 के अधीन कलेक्टर/अपर कलेक्टर व्दारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त/ अपर आयुक्त को होगी एंव आयुक्त/अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वित्तीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष की जायेगी। आवेदक की ओर से निगरानी को अपील में सुने जाने हेतु न तो बहस के दौरान मांग रखी गई है और न ही तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी अग्राह्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है। परिणामतः अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 134/ 2013-14 स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-5-14 यथावत् रहता है।

(डॉ0मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर